संख्या पीईआर (एपी–सी)–ए (3)–1/2007
हिमाचल प्रदेश सरकार,
कार्मिक विभाग (नि0–III)

दिनांक: शिमला–171002, 14 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय– लिपिक एवम् आशुटंककों की सीधी भर्ती एवम् लिपिकों के पदों पर पदोन्नति हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में लिपिक एवं आशुटंकक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में दसवीं पास या 10+2 उतीर्ण निर्धारित है। परन्तु वर्तमान में शैक्षणिक योग्यता के उच्च स्तर को ध्यान मे रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि उक्त पदो की सीधी भर्ती के लिए भविष्य में शैक्षणिक योग्यता केवल 10+2 पास निर्धारित की जाये जो कि करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए भी लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रशासन में कार्यकुशलता को बनाये रखने के दृष्टिगत यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में लिपिक के पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदधारियों के लिए भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता केवल 10+2 पास ही निर्धारित की जाये। पदोन्नति के लिए 10+2 की शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए 3 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है ताकि इस समयावधि में चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति के लिए पात्र होने वाले कर्मचारी उक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकें। अतः लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए भी यह शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी इस अवधि में यदि कोई केवल दसवीं पास कर्मचारी पदोन्नत होता है तो उसे 10+2 की योग्यता प्राप्त करने के लिये 3 वर्ष का समय दिया जायेगा तथा यदि वह वर्ष 2011 तक 10+2 की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नही करता है तो उसकी पदोन्नति वापिस ले ली जायेगी। यह शर्त उनके पदोन्नति आदेशो में निहित की जायेगी तथा वर्ष 2011 के पश्चात् कोई भी पदोन्नति बिना 10+2 के नही की जायेगी।

क्रमश......

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित लिपिक तथा आशुटंकक के पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में सीधी भर्ती एवं लिपिकों के पदों पर चतुर्थ श्रेणी के पदधारियों से पदोन्नति हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में तदानुसार संशोधन करने बारे तुरन्त आवश्यक पग उठायें तथा इन अनुदेशों की दृढ़ अनुपालना हेतु अपने अधीनस्थ के ध्यान में भी लायें।

क्योंकि इस मामले में मन्त्रीमण्डल की सहमति प्राप्त कर ली गई है, इसलिए सभी विभागों से यह अनुरोध है कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित नियमों में संशोधनार्थ अधिसूचना विधि विभाग से विधिक्षा करवा कर अपने स्तर पर जारी करें।

यह अनुदेश पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या: पर (एपी-II) ए (3) 2/80-III दिनांक 27 नवम्बर, 1991 को भी रद्द करता है।

(दिलजीत सिंह)
सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

1. समस्त प्रधान सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी, कांगड़ा (धर्मशाला), हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त बोर्डों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सचिव।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय।
7. 250 प्रतियाँ गार्ड फाईल।

*****